तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 13/2018 बअनवान विमलेश बनाम तुलसी वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री चेलाराम कुमावत एवं रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 के अधिवक्ता श्री जेठाराम सिंहल उप.। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त जायदाद संयुक्त हिन्दू खानदान की जायदाद की कर्ता व मुखिया खानदान लाबूजी थे। लाबूजी के इन्तकाल के पश्चात उनकी बैवा समदू ने गोद लेने देने की रश्म रिवाज पूरा कर अपीलांट/वादी को गोद लेकर इसका गोदनामा का दस्तावेज दिनांक 04.03.1980 को तकमील कर उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री करवा दिया। लाबूजी के वफात के पश्चात उनकी बैवा समदू एक्सक्लूजीव भूमि की खातेदार नहीं हुई जबकि लाबूजी के उत्तरजीवी भी मौजूद थे। संयुक्त हिन्दु खानदान की जायदाद में यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि अपीलांट वादी को गोद लेते ही लाबूजी की हैसियत कर्ता व मुखिया खानदान की होगी यानि वादग्रस्त जायदाद में 1/2 हिस्सा लाबूजी का व 1/2 हिस्सा अपीलांट वादी विमलेश का होगा। लाबूजी का जो 1/2 हिस्सा था उस हिस्से में से लाबूजी के प्रत्येक वारिस को 1/10–1/10 हिस्सा प्राप्त होगा। समदु भूमि की एक्सक्लूजिव ओनर नहीं थी, जायदाद में उसका मात्र 1/10 हिस्सा खातेदारी का था लेकिन हल्का पटवारी ने उत्तराधिकार अधिनियम को दरकिनार कर म्यूटेशन अकेली समदू के नाम भर दिया। यद्यपि म्यूटेशन से समदू को कोई टाईटल पास नहीं हुआ न म्यूटेशन पक्षकारों के हकों को तय ही कर सकता है। इन परिस्थितियों में समदू ने राजस्व रेकर्ड में किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का बक्सीसनामा अपनी पुत्रियों तुलछी, चूनीदेवी, छग्गूदेवी को कर दिया। समदू अपने 1/10 हक हिस्से से ज्यादा भूमि का बक्सीस करने की अधिकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व अपनी शहादत में पूर्णतया प्रमाणित किया मगर अपीलांट व उसके गवाहन के बयान न मानने का कोई कारण अपने न्याय निर्णय में नहीं दिया है जिससे यह माना जावेगा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद व अपीलांट के बयानों को बिना पढे अपना निर्णय करने में इंसाफन व कानूनन भूल की है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

DNJ (Raj.) 2017(1) Page 36
RRT 2016(2) Page 1360
DNJ (SC) 2016 Page 644
RRT 2018(2) Page 1425
DNJ (Raj.) 1997 Page 677
DNJ (Raj.) 2011(3) Page 1376

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि समदू के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी तीनों पुत्रियों को 1/3, 1/3 हिस्से का पंजीकृत बक्शीसनामा दिनांक 03.06.1999 को पंजीकृत करवाया था। वादी के द्वारा उक्त बक्शीसनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है। दौरान दावा वादी स्वयं के द्वारा अपनी पत्नी के नाम 1/3 हिस्सा रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 09.09.2010 को खरीद किया जा चुका है। जिसकी जानकारी अपीलांट/वादी स्वयं को थी उसके बावजूद तथ्यों को छुपाकर हस्तगत वाद पेश किया गया जो चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलाटगण हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसार नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वाद को तकनीकी आधार पर ही खारिज किया गया। अपीलांट/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। वाद में तनकीयात कायम की गई है लेकिन निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2000 बअनवान विमलेश बनाम समदू बैवा लालूराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2017 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर